

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-20/02/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में भवन योजनान्तर्गत नवादा वन प्रमंडल, नवादा के तहत वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का आवास-सह-कार्यालय हिसुआ एवं सिरदला/वनपाल कार्यालय-सह-आवास, हिसुआ/वनरक्षी हेतु चार रूम का बैरक, हिसुआ एवं एकतारा/हिसुआ वनप्रक्षेत्र कार्यालय-सह-आवास चहारदिवारी निर्माण कार्य हेतु कुल ₹370.97 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख संतानवे हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भवन योजनान्तर्गत नवादा वन प्रमंडल, नवादा के तहत वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का आवास-सह-कार्यालय हिसुआ एवं सिरदला/वनपाल कार्यालय-सह-आवास, हिसुआ/वनरक्षी हेतु चार रूम का बैरक, हिसुआ एवं एकतारा/हिसुआ वनप्रक्षेत्र कार्यालय-सह-आवास चहारदिवारी निर्माण कार्य हेतु कुल ₹370.97 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख संतानवे हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-549 दिनांक-30.05.2024 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-070-संचार तथा भवन, माँग संख्या-19, उपशीर्ष-01 02-भवन, विपत्र कोड-19-4406010700102 के विषय शीर्ष-0102.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
14. संचिका संख्या-205/2024 के पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-02.08.2024 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-15.02.2025 को सम्पन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-400 दिनांक-15.02.2025 द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
15. संचिका संख्या-205/2024 के पृष्ठ-11/टि० पर दिनांक-18.02.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ-10/टि० पर दिनांक-19.02.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक- यथोक्त।

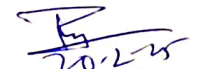
विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-205/2024 787 / प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-20/02/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-205/2024 787 / प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-20/02/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

Department of Environment, Forest and Climate change						
Nawada Forest Division, Nawada						
Construction of various Infrastructures at different ranges of Nawada Forest Division						
Summary Of cost						
SL. No.	Particulars	Quantity	Unit	Estimated Cost (Rs.) 2024-25	Perunit Cost	Remarks (G.P.S. Reading)
1	Construction of Range office cum Residence of Hisua Range	3740(1870 ground floor+ 1870 first floor)	sqft	10142696.00	2711.95	N-24.807666 E-85.326026
2	Construction of Foresters office cum Residence in Hisua Range	1232	sqft	3182565.00	2583.08	N-24.807666 E-85.326026
3	Construction of 4 room barrack in Hisua Range	1377	sqft	3408125.00	2475.03	N-24.807666 E-85.326026
4	Construction of Boundary wall to secure these above building in Hisua Range	1541	ft	6813060.00	4421.19	N-24.807666 E-85.326026
5	Construction of 4 room barrack in Ektara, Akbarpur, Nawada Range	1377	sqft	3408125.00	2475.03	N-24.721657 E-85.630701
6	Construction of Range office cum Residence of Sirdala Range	3740(1870 ground floor+ 1870 first floor)	sqft	10142696.00	2711.95	N-24.655308 E-85.392522
	Total Cost			37097267.00		

TOTAL PROJECTED COST = 37097267.00

- NOTE : i. Certified that above estimate is based on S.O.R. of Building Construction Department Government of Bihar effective from 01.01.2022/Derived/MR .The contractor profit is excluded from the estimate.
ii. Estimate is based on minimum wage rate of 306/per M.D. and revised to wage rate of 410/ per M.D. thus Rate analysis considered and rate calculation attached. (New approved material rate is not available and hence old rate considered in analysis.

Submitted, By :-

R.O.F.,

[Signature]

[Signature]
Divisional Forest Officer,
Nawada Forest Division, Nawada.

Countersigned by :

[Signature]
Conservator of Forest
Gaya Circle, Gaya

वन संरक्षण, गंगा अंचल, गंगा का पड़ाव 706 किमी 27-4-2024
तथा नन प्रमंडल पड़ाव, गंगा का पड़ाव 1205 किमी 22-4-24
के जाला सहज सहज के प्रदत्त नक्कीकी स्वीकृति प्रकृति के साथ
ए वन संरक्षण, गंगा अंचल, गंगा की अनुशासना के आधार पर
है 3,70,97,267 ₹ (होने का यह सहज मापन संगठन द्वारा
होने का यह मापन के लिए नक्कीकी अनुशासना की जाती है)

[Signature]
04.05.24
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पटना